

कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0

क्रमांक / 738 / स्थापना / 2018

छतरपुर दिनांक 24 / 11 / 2020

--:विज्ञापन::--

म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, "मंत्रालय", भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-10/2012/सात/4 ए दिनांक 04मार्च,2014 द्वारा लोक सेवा प्रबंधन के प्रभारी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर कार्यालय हेतु 01, पद अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय प्रत्येक के लिए 01 कुल 06, पद, तहसील कार्यालय प्रत्येक के लिए 01 कुल 11 पद सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की संविदा आधार पर पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पदों में से अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों/तहसील कार्यालयों में रिक्त संविदा पदों की पूर्ति करने हेतु अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

संविदा पदों का विवरण

क्र	संविदा पद का नाम	मानदेय/माशि प्रतिमाह	स्वीकृत पद संख्या
1	कार्यालय सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर	22770/-	06

आरक्षण तालिका

वर्गवार पद	वर्ग	पदों की सं०	ओपन	महिला
कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अनारक्षित	03	02	01
	अनुसूचित जाति	02	01	01
	अनुसूचित जन जाति	01	01	-
	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	-	-
योग		06	04	02

1. तालिका में दर्शित पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 14/12/2020 (शाम 5.30 बजे) तक आवेदन-पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर (म0प्र0) में आमंत्रित किये जाते हैं।
2. निर्धारित अर्हताएं एवं योग्यताधारी उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में डाक द्वारा या स्वयं कार्यालयीन समय में (अवकाश दिवस छोड़कर) जमा कर सकते हैं। समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। नियुक्ति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन उपयुक्त होने पर नियुक्ति में एक-एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
4. शैक्षणिक अर्हताएं :-

- 4.1 कार्यालयीन कार्य को हिन्दी में टंकण करने की दक्षता।
- 4.2 डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।
- 4.3 दस्तावेजों की स्कैनिंग।
- 4.4 एम0एस-ऑफिस तथा डाटावेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने की जानकारी।
- 4.5 शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

- 4.6 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नांकित संस्थाओं में से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है :-
- (A) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
- (B) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
- (C) डीओईएसीसी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
- (D) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से माडर्न ऑफिस से मैनेजमेंट कोर्स।
- (E) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग प्रमाणपत्र।
- 4.7 न्यूनतम तकनीकी योग्यता सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण।

5. पात्रता :-

- 5.2 उम्मीदवार मप्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- 5.2 नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 05 वर्ष की छूट देते हुए आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।
- 5.4 आयु सीमा दिनांक 01 जनवरी 2020 की स्थिति में परिगणित की जायेगी।

6. नियुक्ति की प्रक्रिया:-

- 6.4 आवेदक द्वारा दी गई सम्पूर्ण अर्हताएं अनुसार कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) से प्राप्त प्राप्त स्कोर कार्ड के माध्यम से मैरिट सूची बनाई जायेगी। आवेदक छतरपुर जिले की वेबसाइट <http://www.chhatarpur.mp.gov.in> पर समस्त जानकारी देख सकते हैं।
- 6.5 उम्मीदवार चयन समिति द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर छतरपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- 6.6 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र छतरपुर होगा।

7. नियुक्ति की शर्त:-

- 7.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
- 7.2 नियुक्ति के पश्चात् जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) का चिकित्सा प्रमाण पत्र (फिटनेस), कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि के अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
- 7.3 नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।
- 7.4 नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
- 7.5 नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 7.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
- 7.7 नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।
- 7.8 नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

- 7.9 नियुक्ति पत्र में दर्शायी गयी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति ओदश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 7.10 नियुक्त संविदा कर्मचारी की आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 7.11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताए तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
- 7.12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
- 7.13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 7.14 संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी।

8. प्रतीक्षा सूची :-

चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम दो उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी।

9. प्रतीक्षा सूची की वैधता :-

प्रतीक्षा सूची की वैधता सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी।

10. संविदा अवधि :-

- 10.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- 10.2 संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जायेगा।
- 10.3 वार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रपत्र प्रथक निर्देश से जारी किये जावेंगे।

11. मानदेय:-

शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।

12. यात्रा एवं दैनिक भत्ता :-

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

13. अवकाश :-

- 13.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- 13.2 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को एक वर्ष में 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोडा जायेगा।
- 13.4 बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का संविदा मानदेय देय नहीं होगा।

14. ई0पी0एफ0 कर्तौता:-

ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. कण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

15. स्थान परिवर्तन :-

संविदा के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी का स्थान परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

16. विशेष :-

- 15.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस शर्त का नियुक्ति आदेश में स्पष्टतः उल्लेख किया जावेगा।
- 15.2 दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
- 15.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

17. विवादों का निपटारा:-

किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर छतरपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

Li
कलेक्टर

जिला छतरपुर म0प्र0